



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275901  
CG-DL-E-01092026-275901

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 2026/भाद्र 7, 1948

No. 697]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 2026/BHADRA 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 763(अ.). — केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), ईमेल: [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप नियम**

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।  
 (2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में, नियम 120 के उप-नियम (2) के पहले परंतुक में, "जहां वाहनों के लिए अलग-अलग ध्वनि स्तर निर्धारित किए गए हैं, ऐसे श्रेणी के लिए निर्धारित सबसे कम सीमा, बैटरी चालित वाहनों पर लागू होगी", शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां विभिन्न श्रेणी के वाहनों और उनकी उप-श्रेणियों के लिए अलग-अलग ध्वनि स्तर निर्धारित किए गए हैं, ऐसे विभिन्न श्रेणी के वाहनों और उनकी उप-श्रेणियों के लिए निर्धारित सबसे कम सीमा, बैटरी चालित वाहनों पर भी लागू होगी" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. आरटी-11036/98/2026-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित ..... द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2026

**G.S.R. 763(E).**— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub section (h) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

The Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

**Draft Rules**

- Short title and Commencement:** (1) These rules may be called as Central Motor Vehicles (....Amendment) Rules, 2026.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in the first proviso of sub-rule(2) of Rule 120, for the words and figures "where different noise levels are prescribed for vehicles, the lowest limits prescribed of such category, shall apply to Battery Operated Vehicles", the words and figures "Where different noise levels are prescribed for different category of vehicles and their sub-

categories, the lowest limits prescribed for such different category of vehicles and to their sub-categories also, shall apply to Battery Operated Vehicles” shall be substituted.

[F.No. RT-11036/98/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. ....(E) dated the ..